

302 ITCell
25/1/17

OFFICE OF THE DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION HARYANA
PANCHKULA

Order No. 3/14-2017 HRM-I (4)

Dated, Panchkula, the 23.01.2017

Smt. Sarita Arora [060266], S.S Mistress, GSSS Panchkula (Sector 7) Distt. Panchkula [3703] is hereby grant the following leave:-

Sr.No.	Name of Leave	From	Rule applicable
1	Child Care Leave	24.01.2017 to 10.03.2017	C.S. Instruction No. 11/102/2009 -3FR dated 01.02.2016 /05.07.2012/05.11.2012

1. That the official would have continued to officiate in class-III during her proceeding on leave with permission to Affix/Suffix holidays.
2. That she would draw the usual HRA and other allowances during the period of leave and she is likely to return to the post to which these allowances are attached.
3. That the officer/official would have continued to officiate in Class-III but she proceeds on leave during above period.

VIRENDER KUMAR DAHIYA
ADDITIONAL DIRECTOR ADMINISTRATION
O/O DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Endst. No. Even:

Dated, Panchkula, the 23-01-17

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-

Regd:

1. Accountant General (A&E) Haryana Chandigarh.
2. District Elementary Education officer, Panchkula w.e.f. his Memo No. E-3/2017/12582 dated 19.01.2017.
3. Principal/Headmaster, GSSS Panchkula (Sector 7) Distt. Panchkula [3703].
4. Smt. Sarita Arora [060266], S.S Mistress, GSSS Panchkula (Sector 7) Distt. Panchkula [3703]
5. Technology Officer (I.T.Cell)

Shob Singh
SUPERINTENDENT HRM-1
FOR DIRECTOR ELEMENTARY EDUCATION
HARYANA, PANCHKULA

Prag (Vann)
24/1/17




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimary@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentसमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आदेश क्रमांक 14/37-16 HRM-1(3)

दिनांक पंचकूला : 13-1-17

- 1 इसके द्वारा श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा दण्ड तथा अपील नियम, 2016, के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। वे आरोप उससे अनुबद्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
- 2 इसके द्वारा श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) से उनके द्वारा इस झापन की प्राप्ति की तिथि से 45 दिन की अवधि के अन्दर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करती/करता है या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना हैं और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहता है।
- 3 इसके द्वारा श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) को आपे सूचित किया जाता है कि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिये सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहता है तो उन्हें महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण करना चाहिए। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं, यदि सरकार की राय में उन्हें किसी दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना लोकहित में वांछनीय नहीं है, तो उन्हें वह दस्तावेज दिखाने के लिए इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहता है जो महानिदेशक मौलिक शिक्षा हरियाणा पंचकूला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेदारी उनकी अपनी है, फिर भी श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकता उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के अन्दर प्राप्त नहीं होता तो यह समझा जायेगा कि उन्हें कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
- 4 लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करने चाहिएं।
- 5 संलग्न पत्रों सहित इस झापन की पावती भेजें।

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा हरियाणा,
पंचकूला।

रजिस्टर्ड
संवा में

1. श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)
पृष्ठांकन क्रमांक : सम दिनांक पंचकूला : 23-1-17
इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है :-
1 जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी, रेवाडी।
2 प्रधानाचार्य रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)
3 आई.टी. सैल।

शुभ सिंह
अधीक्षक एच0आर0एम0-1
कृते: निदेशक मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।




GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate Elementary Education

मौलिक शिक्षा निदेशालय

e-mail: eduprimary@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Developmentशिक्षा विभाग, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
From Darkness lead me to Light

आरोप सूची विरुद्ध— श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)

श्री अजीत कुमार ने मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) के पद पर कार्य करते हुए जो अनियमितताएं की उनके लिए उन्हें निम्न प्रकार से आरोपित किया जाता है:-

1. यह कि श्री भूप सिंह, मुख्यशिक्षक, रा.प्रा.पा. गढी अलावलपुर, रेवाडी ने Vigilance Bureau Gurgaon को शिकायत की कि आप द्वारा उनका तृतीय ए.सी.पी. मामला भेजने हेतु 2000/- रुपये की रिश्वत मांगी गई जिसमें Vigilance Bureau द्वारा रेड करके 500-500 रुपये के चार नोट कुल संख्या 2000/- रुपये लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। जिस कारण आपके विरुद्ध FIR No. 11 दिनांक 26.04.2016 U/s 7, 13 PC Act पुलिस स्टेशन SVB Gurgaon दर्ज की गई।
2. आप द्वारा किये गये उपरोक्त कार्य द्वारा विभाग की छवि धूमिल हुई तथा आप द्वारा घोर अनियमितता की गई।

ऐसा करके उसने कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 2016 के नियम 4-1 (i)(ii)(iii)(iv) तथा 5 (i)(ii) की उल्लंघना की है।


उपरोक्त अनियमितता करके उसने स्वयं को कड़ी अनुशासनिक कारवाई का पात्र बनाया है।

W. S. J.
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
 e-mail: eduprimary@gmail.com

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
 Education, Culture and Development



तमसो मा ज्योतिर्गमय
 From Darkness lead me to Light

अभियोग सूची विरुद्ध— श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)

श्री अजीत कुमार ने मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी) के पद पर कार्य करते हुए निम्न अनियमितताएँ की :-

1. यह कि श्री भूप सिंह, मुख्यशिक्षक, रा.प्रा.पा. गढी अलावलपुर, रेवाडी ने Vigilance Bureau Gurgaon को शिकायत की कि आप द्वारा उनका तृतीय ए.सी.पी. मामला भेजने हेतु 2000/- रुपये की रिश्वत मांगी गई जिसमें Vigilance Bureau द्वारा रेड करके 500-500 रुपये के चार नोट कुल संख्या 2000/- रुपये लेते हुए उन्हें पकड़ा गया। जिस कारण आपके विरुद्ध FIR No. 11 दिनांक 26.04.2016 U/s 7, 13 PC Act पुलिस स्टेशन SVB Gurgaon दर्ज की गई।
2. आप द्वारा किये गये उपरोक्त कार्य द्वारा विभाग की छवि धूमिल हुई तथा आप द्वारा घोर अनियमितता की गई।

ऐसा करके उसने कर्मचारी आचरण सेवा नियमावली 2016 के नियम 4-1 (i)(ii)(iii)(iv) तथा 5 (i)(ii) की उल्लंघना की है।


उपरोक्त अनियमितता करके उसने स्वयं को कड़ी अनुशासनिक कारवाई का पात्र बनाया है।



Handwritten Signature
 अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
 मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
 पंचकूला।



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate Elementary Education
मौलिक शिक्षा निदेशालय
e-mail: eduprimary@gmail.com



रिकार्ड की सूची विरुद्ध— श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)

.....

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी रेवाडी का पत्र क्रमांक ई-2/2016/8523 दिनांक 08.06.16
2. राज्य चौकसी ब्यूरो, गुडगांव रेंज, गुडगांव से प्राप्त पत्र क्रमांक 2054/एसवीबी/जीजीएन दिनांक 04.08.2016

* * * * *

गवाह की सूची विरुद्ध— श्री अजीत कुमार, मौलिक मुख्याध्यापक, रा0व0मा0वि0 गढी अलावलपुर (रेवाडी)

.....

1. जिला मौलिक शिक्षा अधिकारी गुडगांव कार्यालय का संबंधित लिपिक/सहायक।
2. श्री भूप सिंह, मुख्यशिक्षक, रा.प्रा.पा. गढी अलावलपुर, रेवाडी (शिकायतकर्ता)।
3. श्रीमती अनीता सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति।
4. श्री लक्ष्मण सिंह सदस्य विद्यालय प्रबंधन समिति।



Handwritten Signature
अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
मौलिक शिक्षा, हरियाणा,
पंचकूला।